

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 01.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-35 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम स्नेही पुत्र रामपति नि० मधईपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-277/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेन्द्र यादव पुत्र दीनानाथ यादव नि० महुआ बाबा मौजा पूरे लाली थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-335/20, 02. रामफेरे पुत्र भवानी नि० रेक्सडिया पूरे ललक थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-336/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कृष्ण कुमार पुत्र स्व० मिश्री लाल नि० टेड़िया पूरे ललक थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-453/20, 02. बहादुर पुत्र बाबू नि० खिरौरा मोहन थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-454/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संजय पुत्र रामानुज नि० बिलहरा कोठी अमदही थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-839/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. उमाशंकर पुत्र इन्द्राज सिंह नि० उल्लाह थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-410/20, 02. श्रीपति पुत्र विमान नि० भौरहा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-411/20, 03. बुद्धराम पुत्र अजोरे नि० तालागंज ग्रन्ट चढ़वा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-413/20, 04. सुखीराम पुत्र फागू नि० भवाजीतपुर थाना छपिया जनपद

गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-414/20, 05. लाबू लोहार पुत्र जयपाल नि0 नाउज टेगरा टोली थाना बधुनी जिला रांची झारखण्ड वर्तमान पता मुन्नीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-415/20, 06. सुनील कुमार गौतम पुत्र राम निवास नि0 फुलवापुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-416/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने चोरी करने के आरोपी अभियुक्त मिथुन पुत्र राजकुमार नि0 धुसवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना नवाबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0-449/20, धारा 425.380.411 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 20/21.10.2020 की रात्रि वादी श्यामबाबू श्रीवास्तव पुत्र महावीर प्रसाद नि0 धुसवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के घर में घुसकर पैसे व मोबाइल चोरी कर ले गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना नवाबगंज में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें नवाबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर रेलवे कासिंग दुल्लापुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

600 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राकेश पुत्र सियाराम नि0 ग्रा0 गद्दोपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-455/20, धारा 8/20, एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 600 ग्राम अवैध गांजा।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 01.11.2020 को थाना करनैलगंज के उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को हलधरमऊ ब्लाक रोड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना करनैलगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी।
02. का0 विपिन कुमार पाण्डेय।
03. का0 संजय कुमार।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 05 अदद नाजायज चाकू के साथ 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस ने गस्त के दौरान अभियुक्त दुःख हरन पुत्र चन्द्रभान सिंह नि० रामपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में मु०अ०सं०—333/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना कौड़िया पुलिस ने गस्त के दौरान अभियुक्त छैलू पुत्र भगवती नि० कटका उत्तर पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया में मु०अ०सं०—199/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज पुलिस ने गस्त के दौरान अभियुक्त राजाबाबू उर्फ बाज पुत्र ताज मोहम्मद उर्फ नंगू नि० मो नई बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज में मु०अ०सं०—454/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने गस्त के दौरान 02 अभियुक्तों—01. कलीम पुत्र मुराद अली नि० वीरापुर थाना छपिया जनपद गोण्डा, 02. मो० वकील पुत्र अनवर हुसैन नि० जोकहा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को 01—01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना छपिया में मु०अ०सं०—409/20, 412/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।